18/8/2025 वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 07 के वकील उपस्थित प्रतिवादी संख्या 08 की ओर से तलबाना प्रतिलिपि पेश नहीं करने के कारण अवसर बंद किया जाता है। काफी पेश हो रखी है बहस सुनी गई और बहस पर मनन पश्चात, पाया की वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और डिक्री लिखत किया गया। डिक्री-पर्चा जारी हो।

कार्यवाही नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 211/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/591

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भूराराम पुत्र भैराराम जाति देवासी निवासी सराणा तहसील पचपदरा		1.ओमाराम पुत्र भैराराम 2.जमना पत्नि भैराराम 3.टपाराम पुत्र भैराराम 4.भाकराराम पुत्र भैराराम 5.लूम्बाराम पुत्र बन्नाराम 6.मेहराराम पुत्र बन्नाराम 7.उकाराम पुत्र बन्नाराम जाति देवासी निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री खुशहालराम पटेल,अधिवक्ता वादी
2. श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

:—निर्णय:—

दिनांक 18/8/25

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1137/599,389,608 व 623 कुल क्षेत्रफल 5.0828 हैक्टयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 7 की सह—खातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 7 की संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि मे वादी का वास्तविक नाम भूराराम के स्थान पर अशुद्व नाम ओमाराम पुत्र भैराराम दर्ज हो रखा है,अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि वादी का वास्तविक नाम भूराराम है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि ओमाराम पुत्र भैराराम के स्थान पर सही नाम भूराराम पुत्र भैराराम इन्द्राज करवानें हेतु वाद—पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री अमराराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। उक्त प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की ओर से वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 08 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी भूराराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1137/599,389,608 व 623 कुल क्षेत्रफल 5.0828 हैक्टयर अवस्थित है। वादी का धरेलू बोलचाल भाषा में ओमाराम नाम से पुकारे थे। वादी के पिता का देहान्त होने पर फोतदगी नामान्तकरण भरते समय वास्तविक नाम भूराराम के स्थान पर ओमाराम दर्ज कर दिया गया,जबकि वादी का वास्तविक नाम भूराराम है,लेकिन अशुद्व प्रविष्टि ओमाराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक भूराराम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम ओमाराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम ओमाराम के स्थान पर भूराराम पुत्र भैराराम इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 02 से 07 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम भूराराम के स्थान पर ओमाराम गलत इन्द्राज हो रखा है,जो दुरूस्ती किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1137/599,389,608 व 623 कुल क्षेत्रफल 5.0828 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होना बताया है। जबकि आधार कार्ड व चुतुर्थ कक्षा वर्ग की मार्क शीट छायाप्रति में भूराराम पुत्र भैराराम नाम दर्ज है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

प्रतिवादी संख्या 02 से 07 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया तथा बहस में स्वीकार किया है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम ओमाराम दर्ज हो रखा है,जबकि वादी का वास्तविक नाम भूराराम है। इससे प्रमाणित होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी दुरूस्ती करवाने का हकदार है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम ओमाराम के स्थान पर भूराराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1137/599,389,608 व 623 कुल क्षेत्रफल 5.0828 हैक्टयर हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि ओमाराम पुत्र भैराराम के स्थान पर भूराराम पुत्र भैराराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

18/08/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

18/08/25

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 211/2024
जी.सी.एन.एस. नम्बर :– 2024/591

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भूराराम पुत्र भैराराम जाति देवासी निवासी सराणा तहसील पचपदरा		ओमाराम पुत्र भैराराम 2.जमना पत्नि भैराराम 3.टपाराम पुत्र भैराराम 4.भाकराराम पुत्र भैराराम 5.लूम्बाराम पुत्र बन्नाराम 6.मेहराराम पुत्र बन्नाराम 7.उकाराम पुत्र बन्नाराम जाति देवासी निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–18.8.2025

वादी की ओर से श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की ओर से श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 08 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 18.8.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः–वादी वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1137/599,389,608 व 623 कुल क्षेत्रफल 5.0828 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि ओमाराम पुत्र भैराराम के स्थान पर भूराराम पुत्र भैराराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है। शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 18.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा